संख्या– / ।।(2)/2021–04(15)/2020 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 04 जनवरी, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2168/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (पुनर्विनियोग), दिनांक 10.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या–423/।।(02)–2020–04(15)/2020, दिनांक 10.07.2020 के द्वारा जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 198.95 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 99.47 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत् योजना के अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 99.48 लाख (रूपये निन्यानबे लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 10.07.2020 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जाएगी।
(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।
(v) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
(vi) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः–2.....

(vii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–292/09(150)2019/XXVII (1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य–80 सामान्य–001-निदेशन तथा प्रशासन–04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.बी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि 4700010510202 से स्थानान्तरित- 00–53– बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–145/XXVII(2)/2020, दिनांक 01.07.2020 एवं शासनादेश संख्या–22/09(150)/2019/XXVII(1)/2021,दिनांक 07.01.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–Allotment ID.

भवदीय,

(डा0 आर0राजेश कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या–241/I(2)/2021–04(15)/2020 टी0सी0,तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव